

प्रेस नोट

जनपद

रामपुर

दिनांक 03.11.2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण -

थाना स्वार:-एकराय मशवरा होकर मारपीट, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी देते हुए फायर करने में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अद्व नाजायज तमंचा मय 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद-

दिनांक 31-10-2021 को राशिद पुत्र शकूर अहमद निवासी पट्टी कला थाना स्वार, रामपुर आदि 15 नामजद व 10-15 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा कार से जान से मारने की नियत से वादी श्री निजाम पुत्र श्री सलीम निवासी ग्राम पट्टी कला थाना स्वार को टक्कर मार दी थी व एकराय मशवरा होकर लाठी-डण्डो व अवैध असलहो से लेस होकर वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिवारजनों के साथ गाली गलौच कर मारपीट, जान से मारने की धमकी देते हुए फायर किया गया था जिससे वादी के पिता सलीम के पैर में फायर लग गया था। इस सम्बन्ध में थाना स्वार पर मु0अ0सं0-544/21 धारा

147,148,149,452,323,307,504,506,427,120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत हुआ था। कल दिनांक 02-11-2021 को उक्त अभियोग में वांछित चल रहे 04 अभियुक्तगण को थाना स्वार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आज दिनांक 03-11-2021 को थाना स्वार पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहा एक और अभियुक्त अकरम उर्फ अक्का पुत्र असलम निवासी ग्राम पट्टीकला घोसीपुरा थाना स्वार, रामपुर को फोरलेन पुल के नीचे जंगल ग्राम मिलक नौखरीद से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अद्व नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना स्वार पर मु0अ0सं0-548/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना बिलासपुर:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 03-11-2021 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त मौ० आसिफ पुत्र सद्दन निवासी ग्राम धावनी हसनपुर थाना बिलासपुर, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।